न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
23 / 2021	111,128 LRA	05.07.2021	04.04.2023

1. पूर्णाराम पुत्र स्व. रतनाराम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील जिला चूरू(राज.)
2. राजूराम पुत्र स्व. रतना राम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू(राज.)
3. रामकरण पुत्र स्व. रतनाराम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
4. पूनम पुत्री स्व. आदूराम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
5. लूणाराम पुत्र स्व. आदूराम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
6. सुरेश पुत्र स्व. आदूराम जाति धानक निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
7. सरोज पुत्री स्व. आदूराम जाति धानक निवासी जसरासरत तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. प्रेमसुख पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
2. रामकुमार पुत्र जोधाराम जाति जाट रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
3. गोपीराम पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
4. तारचन्द पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
5. मृतक पूर्णाराम पुत्र धीरा राम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
   (5 / 1) मोहनलाल पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
6. हंसराज पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू
7. ओमवीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
8. राजवीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
9. गोकूलसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
10. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक बीनासर तहसील व जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री हसनखां प्रार्थी
2. पैरोकार राज.

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को विरासतन कृषि भूमि

खेत खसरा संख्या 243(पुराना) तादादी 16.04 बीघा रोही ग्राम रामदेवरा में प्राथ्रीगण के पिता/दादा रतनाराम का नाम खातेदारी की स्थित रही है। जिस खसरा भूमि में कुआं करवाने के लिए सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी रामकरण के नाम से खातेदारी करवा दी गई तत्पश्चात रामकरण ने अपने भईयों प्रार्थीगण के नाम से उनके हिस्सानुसार कृषि भूमि प्रार्थी रामकरण ने अपने भाईयों प्रार्थीगण के नाम से उनके हिस्सानुसार कृषि भूमि उनके पक्ष में उपहार की जाकर नामान्तरण करवा दिया गया। तत्पश्चात खाता विभाजन करने के पश्चात 552/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर पूर्वा राम ख. न. 553/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर राजूराम, ख. नू. 611/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रामकरण, ख.नं. 610/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर पूनम, लूणाराम, सुरेश, सरोज, पुत्र पुत्रियां आदूराम की खातेदारी में आई। प्रार्थीगण की स्वयं व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की प्रमाणित जमाबंदी तथा नक्शा की प्रति शामिल प्रार्थना पत्र है।

2. उक्त प्रार्थीगण की खसरान की सींव पुख्ता थी मगर अप्रार्थीगण द्वारा चारों तरफ से बाला–बाला प्रार्थीगण की सींव को साल दर साल काट काट कर प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि की तरफ सरकते चले आये जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि कम होती चलीगई। जिस पर प्रार्थी पूर्णाराम द्वारा अपनी हिस्सा कृषि भूमि कम हाती चली गई। जिस पर प्रार्थी पूर्णाराम द्वारा अपनी हिस्सा कृषि भूमि की दिनांक 19.03.2016 को नपती करवाई गई तब प्रार्थी की कृषि भूमि कम पाई गई तथा अन्य प्रार्थीगण की भूमि भी कम आ रही थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की सम्पर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज से कम पाई गई।

3. प्रार्थीगण द्वारा अपने मूल खसरे के विभाजन के समय सीमा ज्ञान करवाया गया था त सींव सही स्थिति में थी मगर बाद में अप्रार्थीगण के मन में लोभ व लालच आ गया और उन्होंने चारों तरफ से सींव को काटकर छिन्न–भिन्न करते चले आये।

4. यह कि प्रार्थीगण अनूसूचित जाति के दिहाड़ी मजदूर एवं लघू कृषक है जो अकाल व अन्यत्र दिहाड़ी करने जाने के कारण हर साल अपनी कृषि भूमि को काश्त नहीं कर पाते जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा चारों तरफ से सींव की सीमा नष्ट कर दिये जाने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों के मध्य सीमा नष्ट कर दिये जाने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों के मध्य सीमा नष्ट व जर–जर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिये प्रार्थीगण के लिए अपनी–अपनी कृषि भूमियों का सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि खेत ख.नं. 552/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर पूर्णाराम खं नं. 553/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर राजू राम, ख नं. 611/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर पूनम, लूणाराम, सुरेश, सरोज पुत्र पुत्रियां आदूराम की कुल तादादी 4.0974 हैक्टेयर (16.04 बीघा) रोही ग्राम रामदेवरा तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवाकर पुख्ता चिन्ह(पत्थरगढी) लगाने जिसे लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

5. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 को कई बार कहा व कहलवाया कि अपनी –अपनी कृषि भूमि की नपती करवाकर सीमा ज्ञान करवा लेंवे मगर अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:59 IST
Reason: SelfAttested

पडौसियान दिनांक 02.03.2021 को इन्कार हो गये। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह जरूरी हो गया कि वे अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान करवा लेवें। जिससे आगे भविष्य में आस पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।

6. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां रहने होने के कारण उक्त भूमि में बतौर अप्रार्थी संख्या 10 शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.) तथा अप्रार्थी संख्या 11 शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक बीनासर तहसील व जिला चूरू को पक्षकार बनाया गया है।

7. सभी प्रक्रिया श्रीमान तहसीलदार के माध्यम से हानी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी सं. 12 बनाया गया है।

8. प्रार्थीगण पत्थरगढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।

9. विवादित कृषि भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

10. अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत ख.नं. 552/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर पूर्णाराम खं नं. 553/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर राजू राम, ख नं. 611/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रामकरण 610/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर, पूनम, लूणाराम, सुरेश, सरोज पुत्र पुत्रियां आदूराम की कुल तादादी 4.0974 हैक्टेयर (16.04 बीघा) रोही ग्राम रामदेवरा तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह(पत्थरगढी) करवाई जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र धरा 111,128 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत करने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 7 से 9 ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थर गढी की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 06 पर तामील होने के बावजूद न्यायाल में उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई अप्रार्थी संख्या 5 के फौत हो जाने के कारण विधिक वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संख्या 5/1 बनाया गया जिसने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थर गढी की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है अप्रार्थी संख्या 10 व 11 जो रहन कर्ता बैंक है इनकी ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर इनका जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 रोही ग्राम रामदेवरा तहसील व जिला चूरू खेत ख. नं. 552/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर पूर्णाराम खं नं. 553/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर राजू राम, ख नं. 611/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रामकरण, ख. नं. 610/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर पूनम, लूणाराम, सुरेश, सरोज पुत्र पुत्रियां आदूराम खातेदार दर्ज है की कुल तादादी 4.0974 हैक्टेयर (16.04 बीघा) । उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है व तहसीलदार चूरू द्वारा नपती किये जाने की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 9 ने पत्थरगढी किये जाने पर अनापति जाहिर की है तथा अप्रार्थी संख्या 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जा चूकि है तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 रहन कर्ता बैंक जिनके हितो पर पत्थरगढी किये जाने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत है जिसको स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम रामदेवरा तहसील व जिला चूरू खेत ख.नं. 552/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर पूर्णाराम खं नं. 553/243 तादादी 1.0623 हैक्टेयर राजू राम, ख नं. 611/554 तादादी 0.9864 राम करण हैक्टेयर, ख. नं. 610/554 तादादी 0.9864 हैक्टेयर पूनम, लूणाराम, सुरेश, सरोज पुत्र पुत्रियां आदूराम की कृषि भूमि कुल तादादी 4.0974 हैक्टेयर (16.04 बीघा) के खातेदारी खसरा भूमियों की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:59 IST
Reason: SelfAttested